

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

पत्र सं. ११

प्रति सं.

वृत्ति श्री श्री 566 को पत्र आदेश किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के विवरण (आवक) को

आवक का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाय

(पट्टे में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति की प्रमाणित करने वाले साक्ष्यकारी और अवभारों के बारे में मेरे और उसके सम्बन्ध अनुसंधानियों में ता. 11/02/02 से ता. 11/02/02 तक जाँची गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न साक्ष्यकारी और अवभारों का पता चला है

क्र. सं.	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति विवरण		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mansoor Mulla A. S. Sahitdwaran P. S. No. 101/02 Plot No. 5-1/02 Area 1.65 A		11/02-5-32D			Vide A/10		7417- 2000

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

1. आवक - पत्र की दशा में लाभ की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बताने कि इसके बारे में उत्प्रेषण हो।
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक मगान दर्ज करें।

सत्यवहार के अन्तर्गत तलाशी के लिए
 निम्न व्यक्ति के नामों पर तलाशी प्रमाण-पत्र जारी किया
 हस्ताक्षर *A. Kumar*
 (पदनाम) *28-7-2021*
 तलाशी का कारण *श. अ. प्र. की जांच निम्न कारियों में की*
 हस्ताक्षर
 (पदनाम)
 कार्यालय *S. O. O. Ranchi*
 तारीख *28-7-2021*



28-7-2021

निम्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर
28-7-2021

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो सत्यवहार और अन्वय दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसी दस्तावेजों को सत्यवहार (इन्डेक्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किया जायगा।

(1) निम्न अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियो और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना बाहते हो अथवा जो उनके प्रविष्टियों लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अन्वयों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने नरसक सहायनी से की है। फिर भी किन्तु प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी मूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) अन्वय यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूटे गए सत्यवहार और अन्वयों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिखाया गया है, इसलिए किन्तु आवेदक द्वारा न दूटे गए ऐसे सत्यवहारों अन्वयों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर प्रमाण पड़ता हो।

ज. अ. प्र. राँची, दि. 28-7-2021, *Agg. M. S. Anand*

ज. अ. प्र. राँची को भ. अ. प्र. राँची में *Manager: S. B. I.*
(S. B. I.) Ranchi को भ. अ. प्र.

28-7-2021
 निबंधन पदाधिकारी
 शहरी क्षेत्र 3 (फाके)
28-7-2021

संख्या: 28-7-2021

संस्था: *Asana*

दिनांक: 28-7-2021

व्यक्ति का नाम: *S. B. D. Ranch*

पता:

कार्यालय: *S. B. D. Ranch*
तारीख: 28-7-2021



28-7-21

विषय: *28-7-2021* में जो सचिवद्वारा और अन्वय दिखाने वाले से आवेदन का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गए हैं। यदि आवेदन में दिने विवरण से विन्न विवरण देकर क्लिष्ट इन्ही संपत्तियों की विवरित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों को संपत्ति-संख्या (3-डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायें।

(2) निम्न अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहिये और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिनिधि तैना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अथवाओं के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलारी स्वयं करनी होगी। विहित कौम के पुरातन करने पर बहिये एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

3) किन्तु यदि वर्तमान समय में आवेदन ने स्वयं तलारी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलारी अपने घरसक सखानी में की है। किन्तु किन्तु प्रमाण-पत्र में दिये गए तलारी परिणाम की किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

4) किन्तु यदि वर्तमान समय में आवेदन ने अपेक्षित तलारी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा छूटे गए सचिवद्वारा और अथवाओं को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिखा गया है, इसलिए किन्तु आवेदन द्वारा न दूरे गए ऐसे सचिवद्वारा अथवाओं की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रमाण पडता हो।

संस्था: *28-7-2021* App. Mrs. *Arshi Jaiswal*

कार्यालय: *no bio 5 111 Manager: S. B. D. (S. B. D.) Ranch*

28-7-21

निर्वाह पदाधिकारी
राहरी क्षेत्र 3 (काके)
28-7-2021

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आगत पत्र सं० ९९ / 2001
 वृत्ति की 7/5/2001 तारीख के पत्र प्राप्त आगेंदर किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के निश्चित मालिकताओं और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्रा दिया जाय (आगेंदर में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति की प्रमाणित करने वाले मालिकताओं और अवभारों के बारे में उल्लेख में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणिका में ता० 1/1/2001 से ता० 1/1/2001 तक तस्वीर की गई और ऐसी तस्वीरों के बाद निम्न मालिकताओं और अवभारों का पता चला है

क्रम क्रम	(क) सम्पत्ति का विवरण	निर्वाहन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति विवरण		
				निर्वाहन	दावेदार	जिल्द नं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मालिकता - आदरणीय श्री. डबल अक्षय P.P. No. 204 W. 27. D. 204 W. 27. D.		P/H - No. 509/02				विद्व. / No. 74/17.	

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

1. **व्यक्ति** - पत्र की दशा में ताम की दर और मुगताय की अवधि दर्ज करें। बरातें कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. **पट्टे की प्रकृति** में पट्टे की अवधि और वार्षिक मगान दर्ज करें।